# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 02/2019

दायरा तिथि : 26.02.2019

फैसला तिथि : 17-7-2019

**अपीलान्टः–**

प्रकाश चौधरी पुत्र नेकारामजी

जाति जणवा चौधरी नि0 डूंगली तह0 बाली

**बनाम**

**रेस्पोडेन्टस :–**

1. ग्राम पंचायत शिवतलाव तहसील बाली
2. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

**उपस्थितिः–**

1. श्री गणपतलाल चौधरी — अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से
2. श्री प्रदीप चौधरी — अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से
2. तहसीलदार, बाली — पेरोकार सरकार

**–:: आदेश ::–** दिनांक 17-7-2019

**अपील पत्र अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956**

(विरूद्व नामान्तकरण संख्या 200 दिनांक 13.03.2002 जो सरपंच ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा पारित किया गया)

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलान्ट ने उक्त अपील अपनी पुश्तैनी भूमि ग्राम डूंगली तहसील बाली कुल खसरा 14 कुल रकबा 12.39 हैक्टर में पिता के देहान्त बाद दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 200 दिनांक 13.03.2002 से व्यथित होकर प्रस्तुत की। जिस नामा0करण में पटवारी हल्का द्वारा अन्य भाईयो के साथ प्रकाश चौधरी की जगह पकाराम दर्ज कर दिया गया। जबकि अपीलान्ट का नाम मतदाता सूची में, परिचय पत्र में, राशन कार्ड में प्रकाश चौधरी पुत्र नेकारामजी के रूप में दर्ज है। अतः सरपंच ग्राम पंचायत शिवतलाव द्वारा ग्राम डूंगली के नामान्तरकरण संख्या 200 दिनांक 13.03.2002 को निरस्त कर अपीलान्ट का सही व शुद्व नाम प्रकाश चौधरी दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 बावजुद सम्मन तामील के वकालत/असालतन न्यायालय में नियत पेशीयो पर अनुपस्थित रहेने से दिनांक 09.07.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश पारित किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 बाबु पुत्र नेका की ओर से वकील श्री प्रदीप चौधरी ने वकालत नामा पेश कर जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस का निवेदन किया। जिस पर वकील अपीलान्ट व वकील रेस्पोडेन्ट संख्या–02 की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने श्री गणपतलाल चौधरी ने विवादास्पद्र नामा0करण संख्या 200 दिनांक 13.03.2002 से प्रार्थी का **सही नाम प्रकाश चौधरी पुत्र नेकारामजी** नहीं भरा जाकर **त्रुटिपुर्ण नाम पकाराम पुत्र नेकाराम** का अंकन कर दिया है, जिससे नामा0करण संख्या 200 दिनांक 13.03.2202 को निरस्त कर पुनः प्रार्थी का सही नाम प्रकाश चौधरी पुत्र नेकारामजी का अंकन किये जाने की दलील दी। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 बाबुलाल के अधिवक्ता श्री प्रदीप चौधरी ने भी अपील के तथ्यो से सहमति व्यक्त कर अपील स्वीकार किये जाने की दलील दी। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या–02 श्री प्रदीप चौधरी ने लिखित बहस पेश कर निम्नानुसार निवेदन कियाः–

1. कि उपरोक्त अपील नामान्तरकरण संख्या 200 दिनांक 13.3.2002 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट संख्या दो के बडे भाई प्रकाश चौधरी ने पेश की हैं। नामान्तरकरण फौतेदगी का भरा गया था, जिसमें रेस्पोन्ट संख्या दो के बडे भाई प्रकाश चौधरी का नाम दर्ज करना था उसकी जगह पकाराम दर्ज कर दिया गया हैं। नामान्तरकरण के पूर्व अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या दो को कोई सूचना नहीं दी गई थी। मेरे भाई को प्रकाश के नाम से जानते व बुलाते हैं।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली जिला - पाली (राज.)

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..02

Scanned by CamScanner

**राजस्व अपील संख्या 2/2019 अनवान प्रकाश चौधरी बनाम ग्राम पंचायत शिवतलाव वगैरा**
**अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956**

2. कि अपील स्वीकार कर अपीलान्ट प्रकाश चौधरी का नाम पकाराम की जगह दर्ज कर दिया जाता है तो रेस्पोडैन्ट संख्या दो को कोई उजर, एतराज व आपत्ति नहीं हैं।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि ग्राम डूँगली स्थित भूमि कुल खसरा 14 कुल रकबा 12.39 हैक्टर के खातेदार नेकाराम पुत्र डूँगा व उसकी पत्नि वधु की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी के नाम जो विवादास्पद नामा0करण संख्या 200 दिनांक 13.03.2002 को दर्ज किया गया, इस नामा0करण से अपीलान्ट का नाम पकाराम उसके भाई के साथ दर्ज किया गया, जबकि अपीलान्ट द्वारा धारित अन्य सरकारी दस्तावेज यथा राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड में अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम प्रकाश चौधरी है। इस प्रकार पिता के देहान्त बाद पुश्तैनी भूमि में दाखिल व स्वीकृत नामा0करण संख्या 200 दिनांक 13.03.2002 से प्रार्थी का **त्रुटिपुर्ण नाम पकाराम** दर्ज कर दिया गया हैं। जिस तथ्य को रेकर्ड में दर्ज सह खातेदार रेस्पोन्ट संख्या–02 के अधिवक्ता अपनी लिखित बहस में भी स्वीकार करते हैं। पैरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार का खण्डन नहीं किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती हैं। ग्राम डूँगली स्थित भूमि कुल खसरा–14 कुल रकबा 12.39 हैक्टर के संबध में दाखिल एवं स्वीकृत नामा0करण संख्या 200 दिनांक 13.03.2002 को अपीलान्ट के त्रुटिपुर्ण नाम अंकन तक निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बाली को निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम डूँगली स्थित भूमि कुल खसरा 14 कुल रकबा 12.39 हैक्टर में अपीलान्ट का सही व शुद्ध नाम प्रकाश चौधरी पुत्र नेकाराम दर्ज कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावे। नामा0करण संख्या 200 दिनांक 13.03.2002 की पत्रावली पर उपलब्ध सत्यापित प्रति आदेश के साथ तहसीलदार, बाली को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी, बाली

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 17-7-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाली

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

Scanned by CamScanner